कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारारोड़, कुल्हान, देहरादून।
Email-rscelluk@gmail.com

संख्या /स0सु0/ई–82140/1–8(231)/2024 दिनांकः दिसम्बर, 2024

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ''सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार'' व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड महोदय के परिपत्र संख्या–135415/ 2024 दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ''सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार'' व्यवस्था लागू की गई है। उक्त योजना हेतु विभाग स्तर पर तैयार एसओपी, आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए जनपद स्तर पर कार्यरत सभी पात्र कार्मिकों को भी उक्त योजना से अवगत कराने ओर पात्र कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से एसओपी में निर्धारित तिथि तक परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति को पत्र प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने स्तर से भी उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए जनपद स्तर पर कार्यरत पात्र कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिला सड़क सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से एसओपी में निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोक्त।

Signed by
Rajeev Kumar Mehra
Date: 18-12-2024 17:33:48
(राजीव कुमार मेहरा)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /स0सु0/1–8(49)/ई–82140/2024 दिनांक नवम्बर, 2024

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति,
उत्तराखण्ड।

विषयः सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ''सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार'' व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि राज्य में बढ़ती वाहनों की संख्या के साथ–साथ दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। विगत कुछ दिवसों में राज्य में कई गंभीर प्रवृत्ति की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें जनहानि भी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु जहॉ राज्य सरकार द्वारा सड़कों की दशा में सुधार, चालक लाईसेन्स व्यवस्था का ऑटोमेशन, फिटनेस से पूर्व वाहन की जॉच किए जाने संबंधी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण/ऑटोमेशन एवं जन–जागरूकता आदि कार्य किए जा रहे हैं, वहीं सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही भी परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

2. उल्लेखनीय है कि जनसहभागिता के माध्यम से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है, अतः जहॉ एक ओर प्रवर्तन के माध्यम से लोगों को नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर नियमों का पालन करने एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय कार्मिकों एवं सामान्य जनमानस को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न सड़क सुरक्षा कोष की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 10–06–2024 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/कार्मिकों को प्ररस्कार प्रदान करने हेतु रूपये 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

4. स्वीकृत धनराशि के माध्यम से सभी हितधारक विभागों (परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग) के कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विभाग स्तर पर तैयार

की गई एस0ओ0पी0, आवेदन पत्र का प्रारूप इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए जनपद स्तर पर कार्यरत सभी पात्र कार्मिकों को भी उक्त योजना से अवगत कराने और पात्र कार्मिकों एवं अन्य व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से एस0ओ0पी0 में निर्धारित तिथि तक परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

5. प्राप्त आवेदनों पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

Signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 10-12-2024 15:54:48

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
8. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी एवं कार्मिक।
9. विभागीय वैबसाईट।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों एवं व्यक्तियों को ''सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार'' प्रदान किए जाने हेतु एस0ओ0पी0

क्रम संख्या	विवरण	अभ्युक्ति
1	पुरस्कार का नाम	''सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार''
2	पुरस्कार हेतु कार्य की अवधि	01 जनवरी से प्रारम्भ होकर 12 मास की अवधि में किया गया कार्य
3	पुरस्कार की आवर्ती	वार्षिक
4	पुरस्कार हेतु निर्धारित श्रेणी	(क) व्यक्तिगत (ख) सामूहिक / संस्थागत
5	पात्रता	(क) सड़क सुरक्षा के कार्य हेतु हितधारक विभाग (परिवहन / लो0नि0वि0 / पुलिस / शिक्षा / चिकित्सा) के अधिकारी / कर्मचारी (ख) कोई जनसामान्य (जिसमें अन्य विभाग के कार्मिक भी सम्मिलित हैं) (ग) कोई एन0जी0ओ0 / स्वैच्छिक संस्था / पंजीकृत सोसायटी
6	पुरस्कार की संख्या	प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय परन्तु यह कि प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत बजट की सीमा के भीतर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा उक्त संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
7	पुरस्कार की धनराशि	धनराशि का निर्धारण प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं उपलब्ध बजट के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथा समय किया जाएगा।
8	प्रमाण पत्र	पुरस्कार के साथ चयनित व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
9	स्मृति चिन्ह	पुरस्कार के साथ चयनित व्यक्ति को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा।
10	नामांकन प्रक्रिया	(क) पात्रता श्रेणी में आने वाले व्यक्ति / कार्मिक / समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने जनपद के जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। (ख) किसी जन सामान्य अथवा एन0जी0ओ0 / स्वैच्छिक संस्था / पंजीकृत सोसायटी द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति को सीधे आवेदन पत्र, किए गए कार्यों के संबंध में समुचित साक्ष्य सहित, किया जा सकता है।

File No. TCOUK-RS01-8/49/2024-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 82140)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 13/12/2024 01:43 pm

		(ग) हितधारक विभागों के कार्मिकों द्वारा आवेदन अपने नियन्त्रक अधिकारी के माध्यम से जिला सड़क सुरक्षा समिति के समक्ष किया जाएगा। (घ) जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में करते हुए प्रत्येक जनपद से प्रत्येक श्रेणी के लिए 01–01 नामांकन की संस्तुति राज्य स्तरीय समिति को की जाएगी। (ड.) हितधारक विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने नियन्त्रक अधिकारी के माध्यम से सीधे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।
11	आवेदन पत्रों की संवीक्षा एवं संस्तुति	(क) राज्य स्तर पर प्राप्त एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु अध्यक्ष, लीड एजेन्सी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 02–03 सदस्यों का नामांकन परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा यथा समय किया जाएगा। (ख) चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं संवीक्षा के उपरान्त ऐसी संख्या में, जैसा वह उचित समझे, आवेदक से अपने आवेदन के संबंध में प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा कर सकती है। (ग) समिति द्वारा संस्तुति करने से पूर्व इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि आवेदक द्वारा इंगित कार्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के अन्तर्गत नहीं किया गया है और कार्य की प्रकृति अति विशिष्ट है। (घ) समिति द्वारा अपनी संस्तुतियॉ परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के अनुमोदनोपरान्त व्यक्ति/कार्मिक/समूह का चयन परिणाम जारी किया जएगा।
12	आवेदन पत्र	आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।
13	आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	(क) जिला सड़क सुरक्षा समिति को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि– दिनांक 31 जनवरी 2025 तक (ख) जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि– दिनांक 28 फरवरी 2025 तक (ग) स्टेकहोल्डर विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों

File No. TCOUK-RS01-8/49/2024-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 82140)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 13/12/2024 01:43 pm

		के कार्मिकों के आवेदन पत्र राज्य स्तरीय समिति को प्राप्त होने की अंतिम तिथि– दिनांक 28 फरवरी 2025 तक
14	योजना की सीमाएं	चूँकि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नेक नागरिक को पुरारस्कार प्रदान करने हेतु पृथक से गुड समेरिटन योजना लागू है, अतः उक्त श्रेणी के व्यक्ति/कार्मिक इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

Signed by
Sanat Kumar Singh
Date: 12-12-2024 16:39:21

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त।

<u>आवेदन–पत्र प्रारूप का नमूना</u> (राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में)

'' सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार''

महत्वपूर्ण नोट : विचार किये जाने के लिए कियान्वयन की अवधि 01 जनवरी, 20.........से 31 दिसम्बर 20........

1. आवेदक का विवरणः–

क :	आवेदक का नाम	
ख :	पदनाम	
ग :	विभाग / संगठन	
घ :	कार्यालय का पता	
ड़ :	कार्यालय का फोन	
चः	आवेदक का मोबाईल नं0	
छः	ई–मेल	

2. आवेदक द्वारा की गयी पहल / कार्यों का विवरण :–

क :	विभाग / संस्थान का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, जहॉ पहल / कार्य क्रियान्वित किया गया।	
ख :	कृपया अपनी पहल / योगदान का सम्बन्धित उपशीर्षकों में वर्णन कीजिए।	कृपया विवरण संलग्न करें। (अधिकतम 200 शब्द)
गः	पहल / योगदान के परिणामस्वरूप प्रभाव / लाभ	कृपया विवरण संलग्न करें। (अधिकतम 200 शब्द)
घः	क्या यह कार्य किसी अन्य राज्य स्तरीय / अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्थापित किसी अन्य पुरस्कार (पुरस्कारों) का विजेता हैः–	हॉ / नही यदि हॉ तो कृपया संक्षिप्त विवरण दें। (अधिकतम 100 शब्द)
ड़ः	अन्य दस्तावेज / फोटोग्राफ्स यदि कोई हो, तो संलग्न किया जाए।	संलग्नक
च	क्या किया गया कार्य / पहल आपके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के अन्तर्गत आता है?	

<u>घोषणा पत्र</u>

मै...(नाम एवं पदनाम) यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण / तथ्य मेरी जानकारी में शुद्ध एवं सत्य है, मैं मिथ्या / विवरण तथ्यों को देने के परिणामों से भलीभॉति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण / तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान.........................

दिनांक.........................

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन–पत्र प्रारूप का नमूना (गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए)

'' सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार''

महत्वपूर्ण नोट : विचार किये जाने के लिए कियान्वयन की अवधि 01 जनवरी, 20.........से 31 दिसम्बर 20........

1. आवेदक का विवरणः–

क :	आवेदक का नाम	
ख :	पिता का नाम	
ग :	पता	
घ :	आधार नम्बर	
ड़ :	आवेदक का मोबाईल नं0	
चः	ई–मेल	
छः	किस व्यवसाय में संलग्न है	
जः	क्या किसी सामाजिक संस्था से सम्बद्ध है? यदि हॉ तो कृपया विवरण अंकित करें।	

2. आवेदक द्वारा की गयी पहल/कार्यों का विवरण :–

क :	स्थान का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, जहॉ पहल/कार्य क्रियान्वित किया गया।	
ख :	कृपया अपनी पहल/ योगदान का सम्बन्धित उपशीर्षकों में वर्णन कीजिए।	कृपया विवरण संलग्न करें। (अधिकतम 200 शब्द)
गः	पहल/योगदान के परिणामस्वरूप प्रभाव/लाभ	कृपया विवरण संलग्न करें। (अधिकतम 200 शब्द)
घः	क्या यह कार्य किसी अन्य राज्य स्तरीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्थापित किसी अन्य पुरस्कार (पुरस्कारों) का विजेता हैः–	हॉ/नही यदि हॉ तो कृपया संक्षिप्त विवरण दें। (अधिकतम 100 शब्द)
ड़ः	अन्य दस्तावेज/फोटोग्राफ्स यदि कोई हो, तो संलग्न किया जाए।	संलग्नक

घोषणा पत्र

मै...(नाम एवं पदनाम) यह घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी जानकारी में शुद्ध एवं सत्य है, मैं मिथ्या/विवरण तथ्यों को देने के परिणामों से भलीभॅाति अवगत हूॅ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान..........................

दिनांक.........................

आवेदक के हस्ताक्षर